रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 1971/माघ 22, 1892

No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 1971/MAGHA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February 1971

G.S.R. 223.—The following Order made by the President is published for general information:—

THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (MYSORE) AMENDMENT ORDER, 1971.

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the President, after consulting the Election Commission, is pleased to make the following Order further to amend the Delimitation of Council Constituencies (Mysore) Order, 1951, namely:—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Mysore) Amendment Order, 1971.

2. In the Delimitation of Council Constituencies (Mysore) Order, 1951, in the Table below paragraph 2, for the word "Chitaldrug" occurring in entry 4 under "Graduates' Constituencies", entry 4 under "Teachers' Constituencies" and entry 9 under "Local Authorities' Constituencies", the word "Chitradurga" shall be substituted.

V. V. GIRI,
President.

[No. F.7(5)/71-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1971

सा० का० नि० 223.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, 1971

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात, अपने प्रसाद से परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मैसूर) आदेश, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, 1971 कहा जा सकेगा ।

2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मैसूर) आदेश, 1951 में पैरा 2 के नीचे की सारणी में, "स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे प्रविष्टि 4, "शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे प्रविष्टि 4 तथा "स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे प्रविष्टि 9 में आए "चितलद्रुग" शब्द के स्थान पर "चित्रदुर्ग" शब्द रखा जायगा ।

वी० वी० गिरी,
राष्ट्रपति ।

[सं० का० 7(5)/71-वि० II]

एन० डी० पी० नाम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971